निविदाकर्ता हेतु, नियम, शर्ते, सूचना एवं मार्गदर्शन

1. अनुबंध अवधि एक वर्ष की होगी। केवल रजिस्टर्ड फर्म ही निविदा प्रेषित करें, अर्थात GST पंजीयन अनिवार्य है एवं GST पंजीयन नंबर की नोटरी से प्रमाणित प्रति तथा आयकर रिटर्न की नवीनतम प्रति संलग्न करना आवश्यक हैं ।
2. निविदा फार्म के साथ कोरियर हेतु अमानत राशि के रूप में **रूपये 10,000/–** का डी.डी. राष्ट्रीयकृत बैंक से, जो, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड के पक्ष में रायपुर पर देय हो संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा फार्म पर विचार नहीं किया जायेगा । जमा अमानत राशि का समायोजन जमानत राशि के रूप में किया जा सकता है।
3. इस निगम से संबंधित आवश्यक पत्रों एवं कार्यालयीन दस्तावेजों को कोरियर द्वारा छ.ग./म.प्र. एवं अन्य प्रदेश के विभिन्न जिलों, तहसील एवं ब्लाक कार्यालय को प्रेषित किया जाता है। कोरियर सेवा किन–किन स्थानों में है, सूची संलग्न करें ।
4. छत्तीसगढ़ राज्य में प्रेषित की जाने वाली डाक दूसरे दिन गंतव्य स्थान पर अधिकतम 02 दिवस के भीतर पहुॅचाना होगा । केवल कोरिया, जशपुर, बलरामपुर, सूरजपुर, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा जिले के गंतव्य स्थान पर प्रेषित दिनांक से अधिकतम 03 दिवस के भीतर डाक पहुॅचाना होगा
5. स्वीकृत निविदादाता को प्रेषित की गयी डाक की पावती गंतव्य स्थान पर पहुॅचाकर सील सहित प्राप्त कर मासिक देयक के साथ संलग्न करना होगा। अन्यथा नियमानुसार पेनाल्टी 01 दिन विलम्ब से पहुॅचाने पर डाक कोरियर हेतु देय राषि का 10 % दूसरे दिन 25 % तीसरे दिन 50 % एवं चौथे दिन 100 % की दर से प्रस्तुत देयक से काट ली जावेगी ।
6. दर स्वीकृत होने के उपरांत पांच दिवस के अंदर **100.00 रूपये के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर** में अनुबंध निष्पादित किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा अमानत/जमानत की राशि निगम के पक्ष में राजसात कर ली जावेगी तथा निविदाकर्ता को काली सूची में डालते हुये, आगामी दो वर्षो तक निगम की निविदा में भाग लेने से वंचित किया जावेगा। अनुबंधित निविदादाता द्वारा कार्य नहीं करने की दशा में कार्य की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए स्वीकृत दर पर ही निविदा में भाग लिये वैध L2, L3 दरदाता से कार्य कराया जा सकता है ।
7. जिन दरों पर निविदा स्वीकृत हुई है उन्हीं दरों पर निर्धारित समयावधि 4.15 सायं कार्यालय में उपस्थित होकर डाक प्राप्त कर रसीद दी जावेगी ।
8. कमेटी के सदस्यों के समक्ष निविदा खोली जावेगी, निविदादाता यदि चाहे तो स्वयं के व्यय पर उपस्थित हो सकते हैं ।
9. निविदा फार्म के प्रत्येक पेज पर फर्म का नाम, हस्ताक्षर एवं पूर्ण पता, हैसियत एवं मुहर का होना आवश्यक है ।
10. निविदा प्रस्तुत करते समय लिफाफे के ऊपर फर्म का नाम एवं जिस कार्य के लिये निविदा प्रस्तुत किया जा रहा है, का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक होगा ।
11. निविदा को किसी भी दशा मे पूर्णतया या आंशिक रूप से स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का संपूर्ण अधिकार प्रबंध संचालक के पास सुरक्षित रहेगा ।
12. किसी भी विवाद के लिये निगम के प्रबंध संचालक आर्बीट्रेटर होंगे ।
13. किसी भी विवाद के लिये न्यायालयीन क्षेत्र रायपुर होगा ।
14. वर्ष 2020–21 चालू वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद भी, आवश्यकता अनुसार स्वीकृत दर पर कोरियर करने के लिये अधिकतम 03 माह हेतु समय में वृद्धि की जा सकती है ।
15. डाक गुमा दिए जाने की स्थिति में प्रबंध संचालक, छ.ग.स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेषन लिमिटेड द्वारा निर्धारित हर्जाने की वूसली की जावेगी जो प्रेषित डाक एवं स्थिति के आधार पर निर्धारित किया जावेगा ।
16. **निविदा में प्रस्तुत दर समस्त कर/जी.एस.टी. सहित होगा। स्वीकृत दर के अतिरिक्त कोई भुगतान नहीं किया जावेगा। शासन द्वारा समय समय पर जारी कर एवं अन्य शर्तें बंधनकारी होगा।**

निविदाकार के हस्ताक्षर

प्रबंध संचालक
छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड
मुख्यालय– रायपुर

C.G.S.C.S.C.L. H.O. Naya Raipur (C.G.)